संख्या–1371 / सोलह–प्रा0शि0–3–2010–246(बी) / 91

प्रेषक,

राम गणेश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊःदिनांक [illegible] अप्रैल,2010

विषयः– राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में शुल्क की दरे संशोधित किये जाने के संबधं में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–11986 / ई–प्लान–शुल्क पुनरी0 09–10 दिनांक 10–9–2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में सत्र 2003–04 में कार्यालय आदेश संख्या–1587 / 16–प्रा0शि0–3–03–246(बी) / 91 दिनांक 20–6–2003 द्वारा छात्रों से लिये जाने वाला शुल्क की दरे संशोधित की गयी थी । छात्रों के तकनीकी प्रशिक्षण में प्रयुक्त होने वाले कच्चा माल, मशीनें एवं साज–सज्जा संयंत्रों के मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि हो जाने तथा छठे वेतन आयोग की संस्तुतियॉ लागू होने आदि के फलस्वरूप श्री राज्यपाल महोदय उक्त कार्यालय आदेश को पुनरीक्षित करते हुए राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में शुल्क की दरे निम्नवत् निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

कमांक	मद	वर्तमान शुल्क की दरे	पुनरीक्षित शुल्क की दरे
1	2	3	4
1	राजस्व शुल्क		
	1– शिक्षण शुल्क	6000.00	8000.00
	2– छात्रावास शुल्क	600.00	600.00 → 800
2	छात्रनिधि शुल्क		
	1–कीड़ा शुल्क	150.00	200.00
	2–वार्षिकोत्सव शुल्क	100.00	100.00
	3–सैत्रिक परीक्षा शुल्क	100.00	200.00
	4–मैगजीन शुल्क	100.00	120.00
	5–हॉबी सेन्टर शुल्क	50.00	200.00
	6–परिचय पत्र शुल्क	30.00	30.00

master hansu 2010

	7–काशनमनी		
	क–संस्थागत	200.00	200.00
	ख–छात्रावास	200.00	200.00
	8–प्रवेश फार्म एवं प्रवेश निबंधन	20.00	20.00
	9–विद्युत शुल्क		
	क–संस्थागत	700.00	800.00
	ख–छात्रावास	700.00	800.00
	10–अनुरक्षण शुल्क		
	क–संस्थागत	0.00	500.00
	ख–छात्रावास	400.00	500.00
	योग	**9350.00**	**12670.00**

2– उक्त पुनरीक्षित दरें शैक्षणिक सत्र 2010–11 से लागू होगी।

भवदीय,

/

(राम गणेश)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2– समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक)
3– वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश कानपुर।
4– निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश कानपुर।
5– सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद/संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
6– समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा (द्वारा निदेशक)
7– समस्त राजकीय पालीटेकिनकों के प्रधानाचार्य। ([illegible])
8– वित्त (ई–11) अनुभाग /गोपन अनुभाग–1।
9– न्याय अनुभाग–1
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
अनुसचिव।

संख्या--1371 (क)/सोलह--प्रा0शि0-3--2010-246(बी)/91

प्रेषक,

राम गणेश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग--3 लखनऊःदिनांक ... जून,2010

विषयः-- राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में शुल्क की दरे संशोधित किये जाने के संबधं में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या --1371/सोलह--प्रा0शि0--3--2010--246(बी)/91 दिनांक 30--4--2010 जिसके द्वारा राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में शुल्क की दरे संशोधित की गयी है, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर--1 के कमांक--1 (2) के स्तम्भ--3 में उल्लिखित छात्रावास शुल्क की पुनरीक्षित शुल्क की दरें " रू0 600/--" के स्थान पर स्तम्भ--4 में पुनरीक्षित शुल्क की दरे " रू0 800/-- " पढ़ा जाय।

2-- उक्त शासनादेश दिनांक 30--4--2010 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश के शेष नियम व शर्ते पूर्ववत् रहेगे।

भवदीय,

(राम गणेश)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1-- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2-- समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक)
3-- वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश कानपुर।
4-- निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश कानपुर।
5-- सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद/संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
6-- समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा (द्वारा निदेशक)

----2/--